



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G20

पत्रांक-

/FP/UK/ROAD/19168/2016 देहरादून दिनांक 20 जनवरी 2023

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

280
606
08/01/23

विषय :- जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत गोमिना कीमू गोटर मार्ग (7.00 किमी०) के निर्माण हेतु 2.45 है० वन भूमि का गैर वाणिज्यी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
संदर्भ :- वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 1168/X-4-16/1(369)/2016 दिनांक 04-11-2016

महोदय,

शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2815/12-1-2 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र. सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.75 है० सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.75 सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रु० 17,09,991.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1) उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम अमलदरामद भी कर दिया गया है। अमलदरामद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० 18,99,215.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) : 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०एस०-566 1A नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) : 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०एस०-566 1A नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि रु० 22,17,375.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1 के अनुसार)

(1207)

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि राक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में यदि राक्षम स्तर से एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
5	भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति मोधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0वी0-25229 कांपोरेसन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल री0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही धावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक झपट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 की देय धनराशि ₹0 22,17,375.00, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ₹0 17,09,991.00 तथा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹0 18,99,215.00 अर्थात कुल धनराशि ₹0 58,26,581.00 चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। धनराशि की पुष्टि हेतु चालान की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	शर्त संख्या-7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में पूर्व में संलग्न हैं।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त संख्या-8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त संख्या-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

22/01/23
20/01/23
20/01/23

भवदीय,
(एस0एस0 रसाईली)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या-1735 / FP/UK/ROAD/19168/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
2. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट, बागेश्वर।

20/01/23
(एस0एस0 रसाईली)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।